मध्यदक्षिणी
SCZCC

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपूर
संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार
South Central Zone Cultural Centre, Nagpur
Ministry of Culture, Government of India

Ministry of Culture
Government of India
सत्यमेव जयते

क्र.द.म.क्षे.सा.केंद्र/ ऑ.सि.क्रा.मे/फूड झोन/76/ 856 /2025-26 दिनांक: 11/03/2026

महोदय/ महोदया,

विषय: दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर "32 वां ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला एवं लोकनृत्य समारोह", नागपुर - पारंपरिक व्यंजनों की खुली जगह, 14 स्थायी स्टॉल के साथ केवल 10 टेबल स्टॉल आवंटित करने बाबत आमंत्रण।

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर द्वारा दिनांक 27 मार्च से 5 अप्रेल 2026 तक "32वां ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला एवं लोकनृत्य समारोह" का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नागपुर एवं आसपास के शहरों से लगभग एक लाख कलाप्रेमी भेट देते हैं।

इस मेले में पारंपरिक व्यंजनों की खुली जगह, 14 स्थायी स्टॉल के साथ केवल 10 टेबल स्टॉल व्यंजनों के कुछ स्टॉल लगाने हेतु इस पत्र के साथ आवेदन पत्र एवं शर्तें संलग्न की गई हैं। यदि आप इस व्यंजन प्रभाग को लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिजर्व प्राइस से अधिक कीमत का प्रस्ताव देना है। भाग 'ब' में जिसका दर सबसे ज्यादा होगा उसे पारंपरिक व्यंजनों की खुली जगह, 14 स्थायी स्टॉल के साथ केवल 10 टेबल स्टॉल आवंटित किया जाएगा। उक्त फॉर्म/ प्रस्ताव पूर्व रूपसे दिनांक 17 मार्च 2026 को दोपहर 2 बजे तक कार्यालय में बंद लिफाफे में जमा करायें। जो दिनांक 17 मार्च 2026 को दोपहर 4 बजे आवेदन कर्ता की उपस्थिति में खोले जायेंगे। इस तिथि को आप उपस्थित रहें।

सहभाग लेने हेतु नियम शर्तें रखी गई हैं। यह फार्म केंद्र के www.sczcc.gov.in इस वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इस फार्म की फोटो कॉपी भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये सुश्री वैशाली व्यवहारे से इनके मो.नं.7385859686 पर संपर्क कर सकते हैं।

(1) कोटेशन बंद लिफाफे में जमा करते समय रु. 1,00,000/- का डी.डी./ई.एम.डी. के तौर पर मा. निदेशक, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर अथवा Director, S.C.Z.C.C., Nagpur के नाम से तथा अलग भाग 'अ' और भाग 'ब' भरकर जमा करना आवश्यक है। संलग्न किये गये डी.डी. के पीछे अपना पूरा नाम, गांव का नाम एवं मो.नं. अवश्य लिखें। साथ में वैध फूड लाइसेंस की फोटो कॉपी/होलोग्राम भी संलग्न करें।
(2) बंद लिफाफे पर पारंपरिक व्यंजनों की खुली जगह, 14 स्थायी स्टॉल के साथ केवल 10 टेबल स्टॉल के लिये बड़े अक्षर में लिखें।
(3) पारंपरिक व्यंजनों की खुली जगह, 14 स्थायी स्टॉल के साथ केवल 10 टेबल स्टॉल आवंटित करने का सम्पूर्ण अधिकार निदेशक, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर का होगा।
(4) व्यंजन स्टॉल धारकों को अपने कचरे का निपटारा प्रतिदिन स्वयं करना होगा।

निदेशक
द. म. क्षे. सा. केंद्र, नागपुर

Annexure “A”

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र,नागपुर

56/1,सिव्हील लाईन्स्, आमदार निवास के सामने, नागपुर – 440 001

32 वां ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला एवं लोकनृत्य समारोह

दिनांक: 27 मार्च से 5 अप्रेल 2026

खाद्य पदार्थ के लिए स्टॉल आबंटित करने बाबत आवेदन–पत्र (अहस्तांतरित)

भाग – ‘अ’

(आवेदन करनेवाले व्यक्ति या संस्था का ब्यौरा)

1. आवेदन करनेवाले व्यक्ति या संस्था का नाम : ....
2. सम्पूर्ण पता :..

   ....

   ....
3. मोबाईल/लॅन्ड लाईन क्र...
4. आरक्षित कीमत रू. 15,00,000/- + GST (कार्यालयीन)
5. ऑफर प्रस्तावित कीमत रू...

   (स्टॉलधारक) (आपके द्वारा प्रस्तावित राशि इस जगह में भरने का कष्ट करें)

6- खाद्य पदार्थों की सूचि (जो स्टॉल में रखे जायेगें) का ब्यौरा : **Annexure** “ स“

7. आपके प्रतिष्ठान का वैध फुड लायसन्स नं.. (अपने साथ फुड लायसंस की मुलप्रत अवश्य रखे। फुड अॅण्ड ड्रग विभाग द्वारा मांग की गई तो उन्हे दिखाना अनिवार्य है)

8 इसके पूर्व आपने ऑ.सि.क्रा.मे.नागपुर अथवा बाहर आयोजित किसी मेले में भाग लिया हो तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा दे ।

घोषणा पत्र

मैं .... पिता/पति का नाम ....घोषित करता/ करती हूँ कि मैने भाग ''ब'' में दर्शायी गई सभी शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़ा है । मैं इन शर्तों को स्वीकार करता हूँ/ करती हूँ एवं उनका पालन करूँगा/ करूँगी । साथ ही मेरे द्वारा स्टॉल पर बेचे जा रहे व्यंजन ''फुड एण्ड ड्रग्स्'' विभाग नागपुर महानगरपालिका के मापदंड के अनुसार ही बेचे जाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट फुड पॉयझनींग या अनियमितता होती है या, इसकी वजह से किसी को कोई भी हानी होती है तो उसके लिये पूर्णतः मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/ रहूँगी । मैं सुरक्षा राशी रू. 1,00,000/– जमा करने को तैयार हूँ। मेले दरम्यान मेरे द्वारा केन्द्र का यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी ।

स्थान : ....

दिनांक : .... आवेदन करनेवाले का नाम एवं हस्ताक्षर

Contd……2

कार्यक्रम समाप्ती पश्चात कुछ नुकसान न होने पर आपके द्वारा प्राप्त रू. 1,00,000/- (रू. एक लाख मात्र) का ड्राफ्ट आपको वापीस दिया जाएगा ।

सुरक्षा राशि का विवरण		फुड स्टॉल की किराया राशि का विवरण	
1.	रू. 1,00,000 (रू. एक लाख मात्र)	1.	रू. ....
2.	कार्यालय का रसिद नं.	2.	डी.डी. नंबर .... दिनांक ....
3.	दिनांक :	3.	बैंक का नाम ....

सलाहगार (लेखाविभाग)　　　सहायक　　　प्रशा. एवं लेखा अधिकारी　　　सहा निदेशक

उप निदेशक　　　मा. निदेशक

<u>भाग 'ब'</u>

<u>दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर</u>

32 वां ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला एवं लोकनृत्य समारोह

दिनांक 27 मार्च से 5 अप्रेल 2026

(फूड स्टॉल्स् आवेदन करने हेतु शर्ते)

14 स्थायी स्टॉल के साथ केवल 10 टेबल स्टॉल के किराए की एकमु''त रा''ा (केवल डी.डी. द्वारा) स्वीकार की जाएगी। यह डी.डी. Director, S.C.Z.C.C., Nagpur के नाम से केन्द्र के पते पर भेजना अनिवार्य है।

(1) मेले में जंक फुड, कोल्ड ड्रिंक, शराब, तम्बाकू, गुटका, सिगरेट मशीन निर्मित आईसक्रिम के साथ–साथ सभी तरह के विदेशी फूड जैसे चाईनीज, कान्टीनेन्टल, थाई, अंकल चिप्स, कुरकुरे पेस्ट्री, पीजा, बर्गर व हॉटडाग इत्यादि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई भी स्टॉलधारक ऐसा करता हुआ पाया गया तो न केवल तुरंत प्रभाव से उसका स्टॉल रद्द किर दिया जायेगा अपितु उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी ।

(2) 10'X10' के आकार के स्टॉल के लिए केन्द्र द्वारा 2 कुर्सी, 2 मेज एवं 2 टयुबलाईट प्रदान किये जायेंगे । अतिरिक्त सामग्री के लिए स्टॉलधारक को ठेकेदार से संपर्क करना होगा तथा उसका अलग से भुगतान ठेकेदार को करना होगा ।

(3) स्टॉल धारक को जिन खाद्य पदार्थ की बिक्री हेतु स्टॉल आवंटीत किया जायेगा उनके अतिरिक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ को स्टॉल में रख नहीं सकेगें एवं तैयार नहीं कर सकेगें । स्टॉलधारक पूर्व घोषित कीमत से अधिक कीमत में सामान नहीं बेच सकता । उसे प्रत्येक खाद्य पदार्थ की रेट लिस्ट बड़े–बड़े अक्षरो में स्टॉल पर प्रदर्शित करनी होगी । यदि इस प्रकार की कोई अनियमितता पाई जायेगी तो उसका स्टॉल रद्द किया जायेगा और स्टॉल आरक्षण राशि जप्त की जायेगी ।

(4) स्टॉल धारक अपना स्टॉल व खुली जगह साफ सुथरी रखेगा । खान पान की वस्तुओं की स्वच्छता एवं सुरक्षितता की जिम्मेदारी स्टॉल धारक की होगी, किसी भी प्रकार की तक्रार या हादसे को स्टॉलधारक स्वयं जिम्मेदार रहेगा ।

(5) केन्द्र में पीने का पानी उपलब्ध रहेगा किंतु उसके संग्रह हेतु आवश्यक बर्तनो की एवं अपने स्टॉल तक पानी लाने की व्यवस्था उसे स्वयं को करनी होगी । केन्द्र किसी भी प्रकार से जान–माल के नुकसार का दायित्व नहीं लेता है । स्टॉल धारक चाहे तो अपना व सामान का बीमा कर सकता है ।

(6) मेले के प्रथम दिन प्रत्येक खाद्य पदार्थो की निर्धारित किमत व मात्रा को, मेले के दरम्यान अन्य दिनों में किसी भी हालत में क्रमशः बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकेगा ।

(7) अपने स्टॉल या खुली जगह में रखे सभी बर्तन, गैस व अन्य वस्तुओं की सुरक्षा आपको स्वयं करनी होगी। गॅस, स्टोव्ह, चुल्हा इत्यादि के संबंधी उचित सुरक्षा प्रबंध एवं सावधानी रखनी होगी । प्रत्येक स्टॉल धारक को कम से कम दो फायर डिस्टिंग्युशर (आग बुझाने का सिलेंडर) स्वंय के खर्चे पर अपने स्टॉल में रखना अनिवार्य है।

(8) सभी स्टॉल धारक उन्हें आवंटित स्टॉल में ही अपने खाने पीने की सामग्री की बिक्री एवं बैठक व्यवस्था करेगें । उसके आसपास किसी भी परिस्थिति में अन्यजगह का उपयोग नहीं करेंगे ।

(9) कचरा, प्लेट्स, बाउल इत्यादि डालने हेतु उसे अपना स्वयं का कूड़ादान रखना होगा। स्टॉल के आसपास कुडा,कचरा अथवा अस्वच्छता रहने पर <u>प्रति दिन रू.2,000/–प्रति दिन तक दंड किया जायेगा</u>। दंड न भरने कि स्थीती में स्टॉल आबंटन रद्द किया जायेगा तथा दंड की रकम, सुरक्षा राशि से वसुल की जाएगी ।

(10) मेला प्रतिदिन <u>दोपहर 1.00 बजे से</u> शुरू होगा एवं <u>रात्रि 09.00 बजे तक</u> खुला रहेगा । अतः अपना स्टॉल निर्धारित समय पर तैयार रखना आवश्यक है ।

(11) खाद्य पदार्थो की सूचि का सम्पूर्ण विवरण आवेदन के साथ करना होगा ।

कृ.पि.दे.

(12) गले–सडे फूड, मिलावटी सामान अथवा बासी एवं Expiry हुये खाद्य, पेय, पदार्थ बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा ।

(13) किसी तरह का वाहन अंदर नही आयेगा ।

(14) सुरक्षा राशी रू. 1,00,000 /– **कार्यादेश देणे के पश्चात जो बिना ब्याज के कार्य पूर्ण होणे पे वापस कि जायेगी ।**

(15) मिट्टी के कुल्हड का, या इको फ्रेंडली प्लेटस् का हि इस्तेमाल करें ।

(16) स्टॉल को आबंटित, रद्द एवं संख्या निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार निदेशक,दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर इनको रहेगा। इस विषय में कोई सिफारिश या अन्य प्रकार मान्य नहीं हैं। इसमें स्टॉलधारक का किसी प्रकार का हस्तक्षेप मान्य नहीं होगा ।

(17) यदि स्टॉल धारक **दिनांक 23 मार्च, 2026** के शाम 6 बजे तक सम्पूर्ण बोली की राशि जमा नहीं कर पाता है तो आयोजक उस खाली स्थान को किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर सकेगें । इस परिस्थिति में उस व्यक्ति द्वारा जमा की गई राशि एवं अमानत राशि केन्द्र द्वारा रख ली जायेगी।

(18) शीतल पेय, मिनरल वाटर के लिए उपयोग में लाये जानेवाले शीत संग्रहाकार (कोल्ड स्टोरेज) पॉपकॉर्न म''ीन तथा शुगर कन्डी म''ीन हेतु स्टॉल धारक से अतिरिक्त बिजली खपत हेतु रू.500/– प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त राशि अग्रीम वसूल की जायेगी, जिसे पूर्व में सूचित करना होगा एवं राशि जमा करना होगी ।

(19) मेले के अंतिम दिन स्टॉल धारक अपने खान–पान की समस्त सामग्री बाहर ले जायेगे एवं व्यंजन प्रभहग की पूर्ण सफाई करेंगा अन्यथा रू.2000/– प्रतिदिन से राशि काटी जाएगी । केन्द्र के बाहर जाने के पूर्व उन्हें केन्द्र के प्राधिकृत अधिकारी से अनापत्ति प्रपत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। बगैर अनापत्ति प्रपत्र के उनकी सामग्री बाहर जाने नहीं दी जायेगी ।

(20) कोई भी स्टॉल धारक अपनी जगह में संगीत उपकरण का उपयोग नहीं करेंगे ।

(21) केन्द्र प्रत्येक स्टॉल धारक को दो व्यक्तियों के लिए पहचान पत्र देगा, जो अहस्तांतरणीय होगा ।

(22) स्टॉल के लिए निर्धारीत राशि अदा करने के पश्चात किसी भी परिस्थिती में वापस नहीं दि जायेगी।

(23) उपयोग मे लाया जा रहा गैस सिलेंडर व्यवसायिक होना आवश्यक है ।

(24) बिक्री का लाइसेंस आवश्यक रहेगा जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें ।

(25) अपने स्टॉल पर कोई भी बाल कामगार काम पर ना रखें, अन्यथा स्टॉल रद्द किया जाएगा ।

(26) स्टॉल धारक द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर बनायें गये सभी नियमों/ कानुन का पालन करना होगा ।

(27) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिती में उसका परिक्षेत्र नागपूर उच्चन्यायालय रहेगा ।

मैंने उपरोक्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ा हैं एवं सभी शर्ते हमें मंजूर हैं ।

स्थान :

दिनांक : आवेदन करने वाले के हस्ताक्षर

नाम ....

मोबाईल नं. ....

Annexure " स"

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR

32nd ORANGE CITY CRAFT MELA & FOLK DANCE FESTIVAL, NAGPUR

Date : 27th March to 5th April 2026 (Daily : 01 P.M. to 09 P.M.)

List of Non-Veg. Stalls

Sr.No.	Food Item	Non -Veg.
1.	Saoji	Non-Veg.
2.	Konkani	Non-Veg.
3.	Kolhapuri	Non-Veg.
4.	Avadhi	Non-Veg.
5.	Hyderabadi	Non-Veg.
6.	Punjabi	Non-Veg.
7.	Kashmiri	Non-Veg.
8.	Sea Food	Non-Veg.

List of Veg. Stalls

Sr. No.	Food Item	Veg.
1.	Varadi Vyanjan	Veg.
2.	Avadhi	Veg.
3.	Hyderabadi	Veg.
4.	South Indian Food	Veg
5.	Bengali Sweet	Veg.
6.	Gujarathi	Veg.
7.	Mumbaia Chat Item (Wada Pav, Pav Bhaji, Chat, Bhelpuri)	Veg.
8.	Bihari Food	Veg.
9.	Jain Food	Veg.
10.	Rajasthani Food	Veg.
11.	Malwa	Veg.
12.	Punjabi	Veg.
13.	Kashmiri	Veg.
14.	Natural Fresh all type of Juices	..
15.	Fruit & Fruit Salad	..
16.	Pop Corn (Rs. 500/- per day Electricity Charges Extra)	..
17.	Sugar Candy (Rs. 500/- per day Electricity Charges Extra)	..
18.	Milk Product including variety of Kulfi (without ice-cream)	..
19.	Churan /Supari	..
20.	Pan (Only chewing pan)	..
21.	Sweet Corn/ Hurda	..
22.	Pickles/Papad/Farsan	..
23.	Water	..